

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : शोभालाल

बनाम

प्रतिवादी : जगन्नाथ

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या : 17/19

दिनांक: 06.06.2024

पत्रावली पेश हुई। हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद प्रकरण संख्या 38/19 वाद खारिज होने से हस्तगत प्रकरण में भी कोई कार्यवाही का औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा—उदयपुर